07.2.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र 07 R 11 पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना-पत्र, जवाब-प्रार्थना पत्र, संलग्न पंजीकृत विलेख दिनांक 9.5.24 की चित्रप्रति का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 1994 पृ. स. 98 अपील नं. 70/AJMER OF 87 निर्णय दिनांक 19.5.93 का ससम्मान अवलोकन किया गया। वादीया ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि वादीया द्वारा निष्पादित दस्तावेज दिनांक 9.5.24 वादीया को धोखे में रखकर प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में करवाने का अंकन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:16:37 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय के विनम्र अभिमत में जब किसी दस्तावेज को कपट या धोखे के आधार

पर चुनौती दी जाती है, तो जब तक उस दस्तावेज को अपास्त नहीं करवाया जाता घोषणा या विभाजन की डिक्री वादी को नहीं दी जा सकती है, एवं हस्तप्रकरण में वादीया द्वारा स्वयं दिनांक 9.5.24 को पंजीकृत उपहार पत्र निष्पादित किया गया है सिविल न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज शून्य घोषित करवाये बिना वाद अपरिपक्व है। अतः हस्तगत प्रकरण में न्यायालय का क्षेत्राधिकार - श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं वाद-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.02.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली … शुमार होकर नम्बर से कम … जाकर दाखिल-दफ्तर हो

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:16:27 IST
Reason: SelfAttested